उत्तराखण्ड शासन

मुख्यमंत्री

# डॉ0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''

का

वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों

पर

# बजट भाषण

मा0 अध्यक्ष महोदय,

मैं आपकी अनुमति से इस परम् सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2010–11 का आय–व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि इस गरिमामय सदन के समक्ष आय–व्ययक प्रस्तुत करने का मुझे पुनः एक बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

## आर्थिक परिवेश एवं वित्तीय प्रबन्धन :

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि वैश्विक आर्थिक मन्दी तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद उत्तराखण्ड देश का दूसरा राज्य है, जिसने अपने कार्मिकों के हितों को संरक्षित करने की दृष्टि से छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किया। यद्यपि इससे इस प्रदेश पर लगभग रु0 2500 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार हुआ, फिर भी सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबन्धन से इस चुनौती का सामना किया। मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष

हो रहा है कि राज्य के कुशल वित्तीय प्रबन्धन की सराहना करते हुए 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा इस हेतु पुरस्कार के रूप में राज्य के इतिहास में पहली बार प्रोत्साहन राशि रु0 1000 करोड़ अनुमन्य किया गया है, जो कि देश के किसी भी राज्य को मिलने वाली सर्वाधिक राशि है। भारत सरकार ने भी केन्द्रीय वित्त आयोग की इस संस्तुति को स्वीकार किया है।

## वार्षिक योजना :

यद्यपि वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अभी वार्षिक योजना का आकार निर्धारित नहीं हुआ है तथापि वर्ष 2010–11 के आयोजनागत पक्ष में रु0 5117.38 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है जो वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक अनुमान से लगभग रु0 600

करोड़ अधिक है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि वर्ष 2010–11 का बजट सरकार के विजन, 2020 के दृष्टिगत तैयार किया गया है ताकि विजन, 2020 के लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें।

**मान्यवर,**

इस बजट में हमने जहाँ वर्ष 2009–10 के मूल बजट के सापेक्ष वृद्धि की है वहीं जनहित की कई नई एवं विशिष्ट योजनाओं को सम्मिलित किया है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगाः–

❖आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ ही दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र जहां बिजली व रसोई गैस के अभाव में अधिकांश लोग मिट्टी तेल का उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को राहत देने हेतु सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि मिट्टी तेल पर वर्तमान 12.5 प्रतिशत वैट को घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

❖वर्ष 2009–10 में जहाँ हमने आम व्यक्ति के दैनिक उपयोग की खाद्य सामग्री– आटा, मैदा, सूजी तथा बेसन को पूर्णतः वैट से मुक्त किया था, उसके साथ–साथ वर्ष 2010–11 में खादी ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा निर्मित दियासलाई, आतिशबाजी, मोमबत्ती, कपूर, गोंद व राल, नारियल की जटा से भिन्न रेशा, हाथ से निर्मित कागज, कागज बोर्ड, फाईल कवर, फाइलबोर्ड, ड्राइंगपेपर, बधाई–पत्र, आमंत्रण–पत्र को पूर्णतया वैट मुक्त किया जायेगा।

❖प्रदेश के किसानों के हित में थ्रैसर पर 4 प्रतिशत वैट को पूरी तरह समाप्त किया जायेगा।

❖हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने, पारम्परिक हस्तशिल्प के संरक्षण व प्रोत्साहन तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हाथ से बुने ऊनी दन एवं गलीचों (कारपेट) को पूर्णतया वैट मुक्त किया जायेगा।

❖छात्र–छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए लेखन स्याही (राइटिंग इंक) पर 4 प्रतिशत वैट को पूर्णतः समाप्त किया जायेगा।

❖टैक्सटाइल वेस्ट एवं कॉटन वेस्ट, जो सामान्यतया आम जन द्वारा उपयोग किये जाने वाले गद्दे, तकिये आदि में प्रयोग किये जाते हैं, पर 12.5 प्रतिशत वैट को घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

❖वर्ष 2009–10 में जहाँ हमने अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय पर शहरी क्षेत्रों में देय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को पूर्णतया समाप्त किया था, वहीं वर्ष 2010–11 में अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय पर वर्तमान में देय 7 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत किया जायेगा।

❖किसानों के हित में कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क में छूट की अवधि न केवल दिनांक 31–3–2011 तक बढ़ाई जायेगी बल्कि छूट की वर्तमान में अनुमन्य ऋण सीमा रु0 3 लाख को बढ़ाकर रु0 5 लाख किया जायेगा।

❖केबिल टी0वी0 पर मनोरंजन कर को कम कर घरेलू कनेक्शन के लिए रु0 20 प्रतिमाह तथा व्यावसायिक कनेक्शन के लिए रु0 40 प्रतिमाह किया जायेगा।

❖पुराने सिनेमा घरों की कठिनाईयों तथा उनके बन्द होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उनके पुनरुत्थान के लिए पुराने सिनेमा घरों के स्थान पर नये सिनेमा घरों के निर्माण की अनुमति दी जायेगी।

❖कुमायूँ के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में प्रदेश स्तरीय चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जायेगी ताकि सक्षम एवं प्रशिक्षित वाहन चालक तैयार हो सकें।

❖ मुजफ्फर नगर–रुड़की रेल लाईन के निर्माण हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 20 करोड़ का भुगतान रेलवे बोर्ड को किया गया है। वर्ष 2010–11 में भी रु0 20 करोड़ की व्यवस्था है ताकि इस रेल लाईन का निर्माण शीघ्र किया जा सके।

❖जौलीग्रान्ट हवाई अड्डा, जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार एवं देहरादून के समीप है, में नाइट लैंडिंग व्यवस्था न होने के कारण पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों आदि को असुविधा होती है तथा हवाई सेवाओं की उपलब्धता सीमित है। इस समस्या के समाधान हेतु नाइट लैंडिंग की व्यवस्था करवायी जायेगी।

❖विद्युत वितरण कार्यों में सुधार हेतु दस हजार से अधिक आबादी वाले 31 शहरों में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना क्रियान्वित कर विद्युत लाईन से होने वाली विद्युत क्षति को कम करते हुए सामान्य दरों पर विद्युत की उपलब्धता बढ़ाई जायेगी।

❖महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना, जो गत 30–35 वर्षों से लम्बित पड़ी है एवं जिससे विद्युत उत्पादन के साथ हल्द्वानी शहर तथा उधम सिंह नगर सहित एक बड़े क्षेत्र की सिंचाई व पेयजल आपूर्ति में वृद्धि होगी, के क्रियान्वयन हेतु हम कृत संकल्प हैं। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि कुछ दिन पूर्व ही भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस महत्वाकांक्षी चिर–प्रतीक्षित परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

❖मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 250 से कम आबादी वाले गांवों के लिए सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जायेगा।

❖लक्सर, डोईवाला आदि स्थानों में रेलवे लाईन पर ओवर ब्रिज बनाये जा रहे हैं, जो शीघ्र पूर्ण हो जायेंगे। इसी क्रम में देहरादून में मोहकमपुर के निकट रेलवे ओवर ब्रिज सहित प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की पहल की जायेगी।

❖निराश्रित एवं मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह की स्थापना की जायेगी।

❖कूड़ा बीनकर जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी एवं छात्रावास स्थापित किया जायेगा।

❖सभी वर्गों के आर्थिक रूप से अत्यन्त गरीब आवासहीन परिवारों, जिनकी वार्षिक आय रु0 32000 से कम हो तथा जो बी0पी0एल0 से आच्छादित नहीं हैं, को ''अटल आवास योजना'' के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

❖गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरित वन भूमि से पर्यावरण को होने वाली क्षति के परिप्रेक्ष्य में जमा की

गयी धनराशि से राज्य कैम्पा अर्थात प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ''तदर्थ कैम्पा'' के अन्तर्गत 10 वर्षों में लगभग रु0 874 करोड़ की विभिन्न योजनाएँ यथा बद्रीश वन, इको टूरिज्म, नक्षत्र वन व ग्रीन सिटी आदि संचालित की जायेंगी। वर्ष 2010–11 में इस हेतु रु0 82 करोड़ व्यय किया जायेगा।

❖जहाँ हम रु0 12 करोड़ की लागत से बनने वाले देश के उत्कृष्ट गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय की स्थापना कर रहे हैं, वहीं राज्य में दो कैंसर उपचार केन्द्रों की स्थापना की कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, देहरादून तथा सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी यूनिट, देहरादून एवं रुड़की में कार्डियक यूनिट और काशीपुर, ऋषिकेश, रुड़की व कोटद्वार में ट्रॉमा सेन्टर, कोटद्वार

एवं पिथौरागढ़ में सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 तथा डाइगनोस्टिक केन्द्र को लोक निजी सहभागिता आधार पर संचालित किया जायेगा।

- मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, जहाँ प्रति वर्ष 100 बच्चे एम0बी0बी0एस0 में प्रवेश लेते हैं, का राजकीयकरण किया जायेगा।
- जहाँ प्रदेश का पहला नर्सिंग कॉलेज देहरादून में 2010–11 में प्रारम्भ हो जायेगा, वहीं पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में भी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे। भविष्य में अल्मोड़ा, टिहरी एवं चमोली में भी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
- प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के क्रम में राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

❖शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस हेतु विद्यालयों में अधिगम (लर्निंग) गारन्टी कार्यक्रम, अधिगम स्तर मूल्यांकन एवं दक्षता आधारित अधिगम (कम्पीटेन्सी बेस लर्निंग) का अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत रटन्त प्रणाली के स्थान पर दक्षता आधारित एवं बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षण एवं मूल्यांकन पद्धति अपनाई जायेगी।

❖बालिका शिक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इसके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों का संचालन हाई स्कूल स्तर तक किया जा रहा है। साथ ही आवासीय विद्यालयों के रूप में स्थापित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों में 50 प्रतिशत स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं।

❖तहसील स्तर पर नाना जी देशमुख आदर्श आवासीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जायेगी जिनमें यथा आवश्यकता निजी सहयोग भी लिया जायेगा

ताकि दूरदराज के निर्धन एवं प्रतिभाशाली छात्रों के उन्नयन हेतु उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा दी जा सके।

❖प्रदेश के पहले विशिष्ट एवं उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित दून विश्वविद्यालय में वर्ष 2009–10 में दो विषय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2010–11 में तीन और विषय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया जायेगा।

❖उच्च स्तर की प्रबन्धन शिक्षा के लिए आई0आई0एम0 तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए एन0आई0टी0 की स्थापना शीघ्रता से की जायेगी।

❖औद्योगिक विकास के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि टाटा, हीरो–होण्डा व अशोक लीलैण्ड आदि नामी गिरामी कम्पनियों द्वारा उत्तराखण्ड में उद्योग स्थापित करने से प्रदेश एक महत्वपूर्ण ''ऑटोमोबाइल हब'' के रूप में स्थापित हो रहा है जिससे स्थायी रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

❖स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। धरती के स्वर्ग उत्तराखण्ड को पर्यटक आकर्षण केन्द्र बनाने हेतु सरकार कृतसंकल्प है। इसके लिए अन्य योजनाओं के साथ–साथ पर्यटन मेगा सर्किट स्वीकृत किये जायेंगे।

❖हमारा सौभाग्य है कि देश का पहला सबसे बड़ा फूड एवं हर्बल पार्क हमारे प्रदेश में स्थापित हुआ है। इसी क्रम में पहाड़ के पानी व जवानी के सदुपयोग हेतु जड़ी–बूटी का उत्पादन, दोहन तथा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।

❖कृषि सेवाओं को न्याय पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की व्यवस्था प्रारम्भ की जायेगी।

❖जहाँ हमने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी है, वहीं हिमाचल प्रदेश के सहयोग से किशाऊ बाँध एवं लखवाड बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

❖नदियों के संरक्षण, संवर्द्धन तथा उन्हें प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान चलाया जायेगा।

❖द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं की पेंशन रु0 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 2000 प्रतिमाह की गयी है।

❖पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की सुगमता हेतु सैनिक कल्याण निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में टौल फ्री फोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

❖उत्तराखण्ड देश का प्रथम राज्य है, जिसने संस्कृत को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा देकर गौरवान्वित किया है।

❖पं0 दीन दयाल उपाध्याय 108 आपात कालीन सेवा ने अल्प समय में ही अपार लोकप्रियता, उपादेयता व कीर्तिमान स्थापित किये हैं। सड़क दुर्घटना, बीमारी की गम्भीर अवस्था तथा प्रसव सम्बन्धी प्रकरणों आदि में इस सेवा ने अब तक लगभग 1.36 लाख पीड़ितों को सहायता पहुँचाई है। इस सेवा ने 51 हजार प्रसूति

मामलों में जच्चा–बच्चा की जान बचा कर एम्बुलेन्स में 1260 बच्चों को जन्म देकर कीर्तिमान बनाया है। इस सेवा को और अधिक उपयोगी बनाने तथा इसकी पहुँच बढ़ाने के लिए मोटर साइकिलों का भी प्रयोग किया जायेगा।

❖प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों, कवियों की कृतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता दी जायेगी।

❖जेण्डर बजट में वर्ष 2009–10 के सापेक्ष लगभग 17.65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2010–11 में रु0 1400 करोड़ का प्राविधान है।

**मान्यवर,**

अब विभागवार बजट प्रस्तावों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है ;

## राजकोषीय सेवाएँ :

राज्य की राजकोषीय सेवाओं में वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन, स्टॉम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा

मनोरंजन कर प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों में कोई नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

## वाणिज्य कर :

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिट्टी के तेल पर वर्तमान 12.5 प्रतिशत वैट घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

प्रदेश में ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आमजन की समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से तथा खादी ग्रामोद्योग इकाईयों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् द्वारा प्रमाणित एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर द्वारा सत्यापित ऐसी इकाईयों, जिनकी वार्षिक सकल बिक्री 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है, द्वारा उत्पादित वस्तुओं यथा दियासलाई, आतिशबाजी, मोमबत्ती, कपूर, गोंद व राल, नारियल की जटा से भिन्न रेशा, हाथ से निर्मित

कागज, कागज बोर्ड, फाईल कवर, फाईलबोर्ड, ड्राइंगपेपर, बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र को पूर्णतया वैट मुक्त किया जायेगा।

प्रदेश के किसानों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से थ्रैसर पर 4 प्रतिशत वैट को पूर्णतया समाप्त किया जायेगा।

हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने, महिलाओं के हित तथा कारीगरों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हाथ से बुने ऊनी दन एवं गलीचों (कारपेट) को वैट मुक्त किया जायेगा।

छात्र–छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए लेखन स्याही पर वर्तमान 4 प्रतिशत वैट को पूर्णतया समाप्त किया जायेगा।

टैक्सटाइल वेस्ट एवं कॉटन वेस्ट, जो सामान्यतः गद्दे, तकिया आदि में भी प्रयोग किया जाता है, पर वर्तमान 12.5 प्रतिशत वैट को घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

वाणिज्य कर विभाग राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। विभाग के अन्तर्गत अनावासीय एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 15.62 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। करों में उक्तानुसार विभिन्न छूट दिये जाने के बावजूद वर्ष 2010–11 में रु0 2586 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है।

## स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन :

अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय पर स्टाम्प शुल्क की दरों को कम किया जायेगा। वर्ष 2009–10 में जहाँ शहरी क्षेत्रों में देय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को पूर्णतया समाप्त किया गया था, वहीं वर्ष 2010–11 में अचल सम्पत्ति के क्रय विक्रय हेतु वर्तमान देय 7 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क को घटा कर 6 प्रतिशत किया जायेगा।

किसानों के हित में न केवल कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क पर छूट की अवधि 31–3–2011 तक बढ़ाई जाएगी बल्कि छूट की वर्तमान अनुमन्य ऋण सीमा रु0 3 लाख से बढ़ाकर रु0 5 लाख की जाएगी।

स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन राजस्व प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2010–11 में उक्त छूटों के बावजूद इस मद में रु0 425.65 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है।

## आबकारी :

आबकारी भी राज्य के राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोतों में है। प्रवर्तन कार्य पर विशेष ध्यान देते हुए मदिरा की तस्करी पर प्रभावी रोक–थाम की व्यवस्था की जायेगी। आबकारी के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में रु0 686.93 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है जबकि व्यय पक्ष में रु0 9.75 करोड़ का प्राविधान है।

## मनोरंजन कर :

प्रदेश की जनता को सस्ते व सुलभ मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केबिल टी0वी0 पर मनोरंजन कर की दर को कम कर घरेलू कनेक्शन पर रु0 20 प्रतिमाह तथा व्यावसायिक कनेक्शन पर रु0 40 प्रतिमाह किया जायेगा।

## परिवहन :

राज्य तथा जनता के चहुँमुखी विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से भी परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में अधिकांशतः सड़क मार्ग ही परिवहन का प्रमुख साधन है। विभिन्न अवस्थापना सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार प्रभावी विनियमन, प्रवर्तन एवं विभिन्न सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को समुचित परिवहन सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करायेगी।

परिवहन व्यवसाय एवं व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से त्वरित एवं त्रुटिरहित विनियमन सेवाओं यथा पंजीयन, परमिट, फिटनेस तथा कर सम्बन्धी कार्यों आदि हेतु कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही गतिमान है।

उत्तराखण्ड के लिए चिर–प्रतीक्षित मुजफ्फर–नगर–रुड़की रेल लाईन का शीघ्र निर्माण कराया जाएगा। इस हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 20 करोड़ की धनराशि

रेलवे को उपलब्ध कराई जा चुकी है। पुनः वर्ष 2010–11 में रु0 20 करोड़ का प्राविधान है।

हल्द्वानी में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल की स्थापना हेतु हम कृतसंकल्प हैं।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत चयनित नगरीय क्षेत्रों हरिद्वार, देहरादून एवं नैनीताल में 145 बसों का शीघ्र संचालन किया जायेगा।

राज्य में प्रमुख स्थानों पर लोक निजी सहभागिता के माध्यम से बस अड्डे स्थापित किए जायेंगे।

वर्ष 2010–11 में परिवहन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए रु0 38.37 करोड़ का प्राविधान है।

## नागरिक उड्डयन :

राज्य में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा विमानन सेवाओं के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सरकार प्रयासरत है। देहरादून, हरिद्वार एवं ऋषिकेश के मध्य स्थित जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे का

विस्तारीकरण किया जा चुका है जहाँ अब नाइट लैंण्डिंग व्यवस्था करवाई जायेगी ताकि विमान सेवाएँ नियमित एवं सुचारू रूप से चल सकें जिससे पर्यटकों तथा आम जनता को सुविधा उपलब्ध होगी। पन्तनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का भी कार्य गतिमान है, जबकि नैनीसैनी हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ का विस्तारीकरण एवं उच्चीकरण शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। प्रत्येक जनपद में हैलीपैड निर्माण की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है। देहरादून में तीन हैलीकाप्टर के साथ पार्किंग सुविधा युक्त हैलीपैड एवं हैंगर का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। निजी हैलीकाप्टर सेवा से चार धाम व अन्य पर्यटक स्थलों को जोड़ा जायेगा।

नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 15.62 करोड़ का प्राविधान है।

## ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा :

राज्य तथा जनता के चहुँमुखी विकास में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में विद्युत मांग में

लगातार वृद्धि विकास की दृष्टि से शुभ संकेत है। मांग के अनुसार ऊर्जा उत्पादन व उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विद्युत पारेषण तथा सामान्य दरों पर विद्युत वितरण पर सरकार ध्यान दे रही है। वर्तमान में लगभग 3180 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएँ स्थापित हैं तथा लगभग 15 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं में विकास एवं निर्माण कार्य किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सहयोग से किशाऊ बांध एवं लखवाड़ बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना पर भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। सरकार ने वर्ष 2008 में बनी नीति के अनुसार प्रथम चरण में 25 मेगावाट तक की लगभग 950 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएँ आवंटित की हैं। अगले चरणों सहित इस नीति के अन्तर्गत लगभग 2000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का आवंटन सम्भावित है। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं के जीर्णोद्धार, उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य करेगी। राज्य में विद्युत गृहों से उत्पादित विद्युत की

निकासी तथा मांग स्थल तक पारेषण हेतु विभिन्न उच्च विभव क्षमता के उपस्थान एवं लाईनों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें सतपुली तथा सितारगंज में 132 के0वी0 उपस्थान, महुआखेड़ागंज में 220 के0वी0 उपस्थान, 132 के0वी0 की श्रीनगर–सतपुली व श्रीनगर–सिमली लाईन, 220 के0वी0 की घुत्तू–घनसाली, काशीपुर–बरहनी– पन्तनगर एवं रोशनाबाद–रुड़की लाईन तथा 400 के0वी0 लोहारीनाग पाला–कोटेश्वर लाईन आदि प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009–10 में 220 के0वी0 की मनेरी भाली द्वितीय– ऋषिकेश व चम्बा–घनशाली लाईन, 132 के0वी0 की काशीपुर–बाजपुर व सतपुली–कोटद्वार लाईन तथा 132/33 के0वी0 सिमली उपस्थान का निर्माण पूर्ण किया है।

विद्युत वितरण में सुधार के माध्यम से वितरण तंत्र से हो रही वर्तमान विद्युत क्षति को नियंत्रित किया जायेगा, जिसके अधीन 10 हजार आबादी से अधिक जनसंख्या वाले 31 शहरों में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना क्रियान्वित की जायेगी। देहरादून शहर में विद्युत

देयकों के भुगतान को सुविधापूर्ण व सरल बनाने के लिए 7 एनी टाईम पेमेन्ट (ए0टी0पी0) मशीनें स्थापित की गयी हैं जबकि प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर बिजली सुविधा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

ग्रामीण विद्युत वितरण कार्य के अन्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण लगभग पूर्णता की ओर है। वर्ष 2010–11 में 968 तोकों का विद्युतीकरण किया जायेगा एवं 24800 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत संयोजन दिया जायेगा।

विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 454.99 करोड़ का निवेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय स्रोतों से भी वित्त पोषण किया जा रहा है।

राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण सहित अन्य उपयोगों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के समुचित उपयोग हेतु सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2010–11 में सौर ऊर्जा से 77 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है। 1465 किलोवाट क्षमता की 16

लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। घराटों के सुधारीकरण/सुधारीकृत घराटों की स्थापना योजना भी चलाई जा रही है। जनपद टिहरी में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन योजना पर भी विचार किया जाना प्रस्तावित है। सरकार ऊर्जा संरक्षण कार्यों के लिए भी प्रयासरत है।

वर्ष 2010–11 में वैकल्पिक ऊर्जा कार्यों हेतु रु0 10.65 करोड़ का बजट है।

## सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण :

कृषि क्षेत्र के विकास तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था महत्वपूर्ण है। जहाँ वर्तमान में 2409 नहरों, 918 नलकूपों तथा 124 लघुडाल नहरों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं नई सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर बल दिया जायेगा। कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड चैनल का निर्माण किया जा रहा है।

गत 30–35 वर्षों से लम्बित महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया

जायेगा ताकि विद्युत उत्पादन तथा हल्द्वानी व उधमसिंह नगर सहित एक बड़े भू–भाग में पेयजल व सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2010–11 में रु0 473.86 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए निजी एवं सामुदायिक लघु सिंचाई योजनाओं का भी अत्यन्त महत्व है। इस हेतु छोटी गूलों, हौज, हाइड्रम, आर्टीजन कूपों तथा बोरिंग पम्प सैट आदि के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था विकसित की जा रही है। स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई व्यवस्था की योजनाएं भी चलाई जायेंगी। वर्ष 2010–11 में लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रु0 276.99 करोड़ का प्राविधान है।

## पेयजल :

जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जहाँ जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है

वहीं जल स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन तथा उसे प्रदूषण मुक्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 तक 2948 असेवित एवं 9404 आंशिक सेवित बस्तियों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में पेयजल सुविधाओं के सुधार तथा देहरादून व नैनीताल में जलोत्सारण व्यवस्था सहित मसूरी में जलोत्सारण व्यवस्था क्रियान्वित की जायेगी। ए0डी0बी0 वित्त पोषण से 31 नगरों में पेयजल/ जलोत्सारण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। प्रथम चरण में देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल के कार्य प्रारम्भ किए जा रहे हैं।

पतितपावनी गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए निर्मित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा नये कार्य प्रस्तावित किए जायेंगे। गंगा तट पर स्थित मुख्य शहर हरिद्वार में वर्ष 2050 की जनसंख्या के आधार पर ट्रंक सीवर लाईन का निर्माण किया जा चुका है।

वर्ष 2010–11 में शहरी पेयजल एवं जलोत्सारण कार्यों हेतु रु0 85.90 करोड़ तथा ग्रामीण पेयजल व जलोत्सारण कार्यों हेतु रु0 264.41 करोड़ सहित पेयजल एवं जलोत्सारण कार्यों हेतु रु0 350.31 करोड़ का प्राविधान है।

## सड़क एवं सेतु :

प्रदेश के चुहुंमुखी विकास तथा जनता के सुगम आवागमन के लिए सड़कों व सेतुओं का अनुरक्षण एवं निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु संयोजन योजना क्रियान्वित की जायेगी जिसके अन्तर्गत 250 से कम आबादी वाले गांवों के लिए सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा उन कार्यों को लिया जायेगा जो मिसिंग लिंक के तौर पर आवश्यक हैं और उन पुलों का निर्माण किया जायेगा जिनसे दो सड़कों को जोड़ने से ग्रामीणों को मुख्य मार्ग तक पहुँचने में सहायता हो। प्रदेश के 670 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों को

सड़क सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा। नियोजित तरीके से मोटर मार्गों का विकास करने हेतु मास्टर प्लान लागू किया जायेगा।

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक की सहायता से सड़कों के उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में जनवरी 2010 तक लगभग 442 किलोमीटर की सड़कें पूरी कर लगभग रु0 242 करोड़ व्यय किया गया है एवं अग्रेत्तर लगभग 1038 किलोमीटर सड़कों का कार्य किया जायेगा। तृतीय चरण में लगभग 1961 किलोमीटर की 156 सड़कें ली जानी विचाराधीन हैं।

लोक निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 1001.80 करोड़ का प्राविधान है।

## औद्योगिक विकास :

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक पैकेज की समयावधि बढ़ाने के लिए यद्यपि हर सम्भव प्रयास किया जायेगा तथापि

अन्य प्रयासों यथा मैत्रीपूर्ण अनुकूल वातावरण आदि व्यवस्थाओं के माध्यम से औद्योगिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्र में भी पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत लगभग रु0 100 करोड़ का निवेश हुआ है।

वर्ष 2010–11 में उद्योग विभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए रु0 59.81 करोड़ का प्राविधान है।

## शहरी विकास एवं आवास :

नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, रोजगार सृजन की योजनाएँ, स्वतः रोजगार हेतु प्रशिक्षण, मलिन बस्तियों के सुधार एवं गरीबों के लिए आवास निर्माण, कम लागत के व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन आदि योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी। ए0डी0बी0 वित्त पोषण से 31 नगरों में जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा

अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे।

शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास के अन्तर्गत स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सहित जन शौचालय, स्नान गृह तथा अन्य स्वच्छता सम्बन्धी अवस्थापना व्यवस्था, जल निकासी तथा जल दोहन से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। नगरों में उच्च कोटि की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कार दिया जायेगा। शहरों में पार्किंग तथा सामुदायिक उपयोग के राजस्व अर्जन वाली अवस्थापना सुविधाओं का लोक निजी सहभागिता के माध्यम से क्रियान्वयन के लिए पं0 दीन दयाल उपाध्याय वायबिलिटी गैप योजना चलाई जायेगी। शहरों में लोक निजी सहभागिता से पथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए पं0 दीन दयाल उपाध्याय पथ प्रकाश योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

वर्ष 2010–11 में विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं सहित एशियन डेवलपमैन्ट बैंक व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं व कार्यों के लिए रु0 473.07 करोड़ का प्राविधान है।

## कुम्भ मेला 2010 :

यह हमारा सौभाग्य है कि विश्व के सबसे बड़े मेले के आयोजन का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। कुम्भ मेला की व्यवस्थाओं के लिए भारत सरकार के सहयोग से रु0 565 करोड़ के विभिन्न स्थायी एवं अस्थायी कार्य स्वीकृत किए गये हैं। लगभग 5.35 किलोमीटर अतिरिक्त घाटों, वर्ष 2050 की जनसंख्या के आधार पर हरिद्वार में ट्रंक सीवर लाईन, लक्सर में रेलवे ओवरब्रिज सहित लगभग रु0 407 करोड़ के स्थायी निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। काँवड़ यात्रा के दौरान सड़क मार्गों के बन्द होने से यात्रियों एवं औद्योगिक उत्पाद के परिवहन में समस्या को दूर करने के लिए रु0 8 करोड़ की पृथक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। मा0 सर्वोच्च

न्यायालय से सहमति के क्रम में भूस्खलन के कारण लगभग 9 वर्ष से बन्द पड़े हरिद्वार हिल बाईपास सड़क का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। कुम्भ 1998 एवं अर्द्ध कुम्भ 2004 की तुलना में घाटों, स्थायी सेतुओं, सीवर लाईन तथा अस्थायी पार्किंग के निर्माण में कई गुना वृद्धि की गयी है। साथ ही अस्थायी कैम्पिंग के लिए भी अपेक्षाकृत डेढ़ गुना भूमि की व्यवस्था की गयी है।

## समाज कल्याण :

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक एवं निःशक्तजनों को उनकी क्षमता के अनुसार योग्य बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की ओर सतत् प्रयत्नशील है।

कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग भरण–पोषण अनुदान एवं विधवा भरण–पोषण अनुदान के अन्तर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को आच्छादित करने का लक्ष्य है।

विकलांगजनों तथा कुष्ठ रोग से विकलांगता प्राप्त व्यक्तियों की विशेष स्थिति को देखते हुए उन्हें पेंशन दी जा रही है। निराश्रित मानसिक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह की स्थापना प्रस्तावित है। कूड़ा बीनकर जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों विशेषकर लड़कियों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए छात्रावास स्थापित किया जायेगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी आवासहीन गरीब परिवारों, जो बी0पी0एल0 में चिन्हांकित नहीं हो पाये हैं, को ''अटल आवास योजना'' के अन्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिस हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 6 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय 2010 से सी0बी0एस0ई0 पैटर्न पर संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। विकलांग जनों के लिए देहरादून में छात्रावास निर्माण सहित बालिकाओं

व महिलाओं के लिए 25 सीटों का राज्य स्तरीय उत्तर रक्षा गृह का निर्माण किया जायेगा।

जनपद बागेश्वर के राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज परिसर में बालिका छात्रावास भवन का निर्माण किया जायेगा। हल्द्वानी में समाज कल्याण निदेशालय का भवन निर्माण भी किया जायेगा।

समाज कल्याण कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 1237.85 करोड़ का प्राविधान है।

## सैनिक कल्याण :

भारतीय सेना में उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में लगभग 1.46 लाख पूर्व सैनिक व उनकी विधवाएँ पंजीकृत हैं जबकि लगभग 60 हजार नौजवान सेना में कार्यरत हैं। वीरता पदक विजेताओं को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा देश में सबसे अधिक अनुदान दिया जा रहा है। सेना व पुलिस में भर्ती हेतु सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। द्वितीय

विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं की पेंशन रु0 1000 प्रतिमाह से बढ़ाकर रु0 2000 प्रतिमाह की गयी है। निदेशालय सैनिक कल्याण व जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में टौल फ्री फोन सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, रुड़की, चौखुटिया में सैनिक विश्राम गृह निर्माणाधीन हैं जबकि थलीसैण, विकास नगर, ऊखीमठ, बड़कोट तथा मुनस्यारी में सैनिक विश्राम गृह स्थापित करने प्रस्तावित हैं।

सैनिक कल्याण हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 18.65 करोड़ का प्राविधान है।

## महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

महिलाओं की समाज में सशक्त भूमिका स्थापित करने एवं स्वर्णिम भविष्य के लिए महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश के 95 विकास खण्डों तथा 4 शहरी मलिन बस्तियों में कुल 99 बाल विकास परियोजनायें संचालित हैं। इन बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत

9664 आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 2676 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 22004 महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान किये गये हैं। साथ ही 06 नई परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं। आई0सी0डी0एस0 के द्वितीय चरण के विस्तारीकरण के अन्तर्गत राज्य में अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत राज्य की किशोरियों को उद्देश्यपरक एवं गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मोनाल नाम से अभिनव प्रयोग किया गया है, जिसके अन्तर्गत किशोरियों को जीवन कौशल, सतत् शिक्षा, नेतृत्व विकास आदि विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा। चार धामों में स्थानीय रूप से तैयार किया गया प्रसाद (आदि भोग) का उत्पादन एवं विपणन सम्बन्धित जनपदों के विकासखण्डों के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

महिलाओं का कार्यबोझ कम करते हुए उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिला समेकित विकास योजना संचालित है।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जेण्डर बजट में लगभग रु0 1400 करोड़ की व्यवस्था है जो वर्ष 2009–10 की तुलना में लगभग रु0 200 करोड़ अधिक है।

देवभूमि मुस्कान परियोजना के अन्तर्गत खनन, निर्माण कार्य एवं ईंट भट्टा में कार्यरत मजदूरों के बच्चों के लिए 41 केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 के लिए रु0 296.49 करोड़ का प्राविधान है।

**<u>जलागम :</u>**

प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पति के संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन योजनाएँ सामुदायिक सहयोग से चलाई जा रही हैं।

इससे प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित एवं कुशल प्रबन्धन के फलस्वरूप ग्रामीणों की आय एवं उत्पादकता में वृद्धि हो रही हैं। वर्ष 2010–11 में जलागम सम्बन्धी कार्यों के लिए रु0 107.45 करोड़ का प्राविधान है।

## वन एवं पर्यावरण :

प्रदेश के वनों का राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश तथा हिमालयी क्षेत्र के लिए अत्यन्त महत्व है। राज्य में वनों के विकास व रख–रखाव तथा पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए सरकार प्रयासरत है। वन विभाग के अतिरिक्त इको टास्क फोर्स द्वारा वर्ष 2009–10 में 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण किया गया है। वानिकी में जनसहभागिता के क्षेत्र में भी उत्तराखण्ड अग्रणी है। इस हेतु प्रदेश की लगभग बारह हजार वन पंचायतों का विशेष योगदान है। प्रदेश सरकार ईको टूरिज्म के विकास का भी प्रयास कर रही है। वन विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में रु0 309.47 करोड़ का प्राविधान है।

''तदर्थ कैम्पा'' के माध्यम से आगामी 10 वर्षों में रु0 873.61 करोड़ की विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी। इस योजना के अन्तर्गत वन सुरक्षा, अवस्थापना एवं मानव संसाधन विकास, वन्य जीव प्रबन्धन, मृदा एवं जल संरक्षण, वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण, ईको टूरिज्म, आजीविका सम्बन्धी कार्य, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ–वृक्षारोपण एवं संरक्षित क्षेत्रों का विकास तथा कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट कार्य किए जायेंगे। साथ ही प्रत्येक जनपद में जैव विविधता केन्द्र तथा हर्बल गार्डन की स्थापना, जनपद मुख्यालयों में हरित पट्टी स्थापना, स्पर्श गंगा अभियान तथा बद्रीनाथ धाम में बद्रीश एकता वन, नक्षत्र वन की स्थापना आदि कार्य किए जायेंगे।

## कृषि :

बढ़ती हुई जनसंख्या तथा सीमित कृषि भूमि के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एक चुनौती है। इस हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बीजोत्पादन कार्य का विस्तार तथा जैविक खेती पर भी

बल दिया जा रहा है। जैविक खेती हेतु विकास खण्डों में क्लस्टर आधार पर गांवों का चयन किया जायेगा। कृषि निवेश की सुगम पहुँच के लिए एकल खिड़की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है तथा तद्नुसार इस हेतु विभाग के ढाँचे व कार्यप्रणाली का पुनर्गठन किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्र के किसानों तक सभी जानकारियाँ एवं कृषि निवेश सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर अटल आदर्श ग्रामों में कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज प्रतिस्थापन पर ध्यान दिया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर आधुनिक सुविधा युक्त किसान सूचना एवं सलाह केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके।

कृषि क्षेत्र हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 278.45 करोड़ का प्राविधान है।

## गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग :

सरकार द्वारा वर्तमान पेराई सत्र हेतु गन्ना कृषकों को देश में सर्वाधिक गन्ना मूल्य घोषित किया गया है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग सम्बन्धी विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 10.33 करोड़ का प्राविधान है।

## उद्यान :

राज्य में फल एवं सब्जियों के उत्पादन के अन्तर्गत लगभग 283 हजार हेक्टेयर भूमि आच्छादित है। सरकार उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जी पौध व बीज उत्पादन, आलू बीज उत्पादन, फसल सुरक्षा, पुष्प उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर फसल प्रबन्धन, मौनपालन, बेमौसमी सब्जी उत्पादन तथा चाय विकास आदि के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत है। कास्तकारों के उद्यानों की घेरबाड़ हेतु भी सरकार सहायता दे रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के माध्यम से कृषकों को उचित मूल्य दिया जा रहा है। सेब व अन्य फसलों की बीमा सुविधा भी दी जा

रही है। जड़ी–बूटी तथा सगंध पौध के रोपण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। रेशम कीट पालन, कोया उत्पादन सहित रेशम उत्पादन, रेशम वस्त्र विकास आदि कार्य भी संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जड़ी–बूटी विकास योजना के अन्तर्गत जड़ी–बूटी क्षेत्र के समग्र विकास व प्रभावी विपणन हेतु विकास खण्ड स्तर पर संकुल आधार पर जड़ी–बूटी कृषिकरण योजना चलाई जायेगी। वर्ष 2010–11 में उद्यान के अन्तर्गत रु0 87.34 करोड़ का प्राविधान है।

## पशुपालन, डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन :

पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन भी लोगों की आजीविका व रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पशुपालन कार्यों के प्रसार एवं विस्तार हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर कृषक महोत्सव आयोजन के माध्यम से पशुओं की समुचित चिकित्सा, टीकाकरण, कुक्कुट पक्षी वितरण, चारा बीज वितरण आदि कार्यों

सहित पशुपालन सम्बन्धी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। फीडर चारा बैंकों की स्थापना के साथ–साथ उपचारा बैंकों की स्थापना की जायेगी।

मत्स्य पालक विकास अभिकरण सहित शीत जल मत्स्यिकी तथा जल जीव पालन, जलाशयों का विकास, नई हैचरियों की स्थापना, मत्स्य विपणन हेतु अवस्थापना विकास, ट्राउट मत्स्य विकास आदि योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु0 7.67 करोड़ का प्राविधान है।

ग्रामीण क्षेत्र में आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने तथा स्वरोजगार सुलभ कराने हेतु दुग्ध उत्पादन विकास कार्य किये जा रहे हैं। डेयरी विकास से सम्बन्धित कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु0 14.21 करोड़ का प्राविधान है।

## सहकारिता :

राज्य में 10 जिला सहकारी बैंक , 757 पैक्स एवं 3 शीर्ष सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। जिला सहकारी बैंकों तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से अल्पकालीन,

मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों का वितरण किया जा रहा है। 242 अटल आदर्श ग्रामों में मिनी बैंक स्थापित किये जा चुके हैं तथा शेष 428 ग्रामों में मिनी बैंक तथा विस्तार पटल स्थापित किये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए सहकारिता विभाग के अन्तर्गत रु0 40.91 करोड़ का प्राविधान है।

## चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष :

राज्य सरकार जनता को हर स्तर की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय देवभूमि 108 आपात कालीन सेवा की लोक प्रियता तथा उपादेयता सर्वविदित है। जहाँ यह सेवा जनता में अति लोक प्रिय हुई है, वहीं इस सेवा ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब तक लगभग 36.54 लाख से अधिक सूचनाएँ (कॉल्स) जिसमें लगभग 2.12 लाख कॉल्स आपात कालीन हैं, प्राप्त हुई हैं। इस सेवा द्वारा अब तक लगभग 1.36 लाख पीड़ितों, जिसमें सड़क दुर्घटना के 19324 एवं प्रसूति सम्बन्धी 51 हजार मामले

हैं, को सहायता पहुँचाई है तथा एम्बुलेन्स में लगभग 1260 बच्चों को जन्म देकर जच्चा–बच्चा की जान की सुरक्षा कर कीर्तिमान बनाया है।

चिकित्सा उपचार की पहुँच बढ़ाने के लिए जनपदों में सचल चिकित्सा वाहन भी चलाये जा रहे हैं। कुम्भ मेला 2010 में चिकित्सा उपचार, रोगों के रोकथाम तथा स्वच्छता व सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। दून चिकित्सालय में एम0आर0आई0 की सुविधा को भी लोक निजी सहभागिता पर सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है जिसके अनुभव के क्रम में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, देहरादून तथा सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी में नैफ्रोलॉजी यूनिट, देहरादून एवं रुड़की में कार्डियक यूनिट और काशीपुर, ऋषिकेश, रुड़की व कोटद्वार में ट्रामा सेन्टर, कोटद्वार एवं पिथौरागढ़ में सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 तथा डाइगनोस्टिक केन्द्र को लोक निजी सहभागिता आधार पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है। पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी।

चिकित्सकों की सेवाओं को प्रभावशाली तथा आकर्षक बनाने के लिए राज्य सरकार ने जहाँ टिक्कू समिति की सिफारिशें लागू की हैं, वहीं चिकित्सकों को मूल वेतन का 25 प्रतिशत नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता भी अनुमन्य किया गया है। देहरादून में अत्याधुनिक शोध एवं तकनीकी युक्त गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत सुदूरवर्ती क्षेत्रों जहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, वहाँ गाँव के एक व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित कर फर्स्ट एड किट दिया जायेगा।

जहाँ राज्य में आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, वहीं आयुष सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। विधान सभा परिसर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित किया जायेगा।

वर्ष 2010–11 में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष के अन्तर्गत रु0 668.78 करोड़ का प्राविधान है।

## चिकित्सा शिक्षा :

उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने मात्र रु0 15000 वार्षिक शुल्क में एम0बी0बी0एस0 की शिक्षा दिये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का राजकीयकरण किया जायेगा। दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी प्रस्तावित है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लाई जायेगी। श्रीनगर एवं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों के अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण करने तथा प्रस्तावित दून मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु रु0 68.08 करोड़ प्रस्तावित हैं। जहाँ देहरादून, पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, वहीं अल्मोड़ा, टिहरी एवं चमोली में भी नर्सिग कॉलेज स्थापित किए जायेंगे। राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से उत्तर

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 5 वर्षों हेतु 80 पोस्ट ग्रेजुएट सीटें उपलब्ध हुई हैं।

वर्ष 2010–11 में चिकित्सा शिक्षा हेतु कुल रु0 152.83 करोड़ का प्राविधान है।

## विद्यालयी शिक्षा :

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूर्णता की ओर है। इसी क्रम में राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का संचालन किया जायेगा जिसके अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा का भी सार्वभौमिकरण किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शिक्षा एवं प्रत्येक 7 से 10 किलोमीटर की परिधि में उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए सकल नामांकन दर 2012 तक 70 प्रतिशत एवं 2016–17 तक शत–प्रतिशत की जायेगी।

राज्य में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बालिकाओं को आवासीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु राजीव गांधी नवोदय

एवं डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव आवासीय विद्यालयों में 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण कर कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिका को रु0 1000 तथा कक्षा 9 उत्तीर्ण कर कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाली बालिका को रु0 2000 का प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा समाज के निर्धनतम तथा अपवंचित वर्ग, खनन कार्य व सीजनल मजदूरों के बच्चों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ''मुस्कान परियोजना'' चलाई जा रही है तथा ''पहल कार्यक्रम'' को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवाचारी क्रियाकलाप के रूप में संचालित किया जा रहा है।

राज्य में 100 माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत 500 नये विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाए जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन द्वारा राज्य के 2000 विद्यालयों में दक्षता आधारित अधिगम (कम्पीटेन्सी बेस लर्निंग) का अभिनव प्रयोग किया गया है। अब इसे राज्य के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया जायेगा तथा कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा के प्रश्न पत्र भी इसी आधार पर तैयार किये जायेंगे।

सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तहसील स्तर पर नाना जी देशमुख आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने का भी विचार है।

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में सरकार द्वारा अपने कुल अनुमानित व्यय का 16.94 प्रतिशत अर्थात् लगभग रु0 2617.70 करोड़ का प्राविधान किया है।

## उच्च शिक्षा :

राज्य सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयासरत है। उच्च शिक्षा में विशिष्ट

एवं उत्कृष्ट अध्ययन केन्द्र के रूप में स्थापित बहुप्रतीक्षित दून विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2009–10 में दो विषय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया जा चुका है जबकि वर्ष 2010–11 में तीन नये विषय क्षेत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया जायेगा। वर्ष 2010–11 में दून विश्वविद्यालय हेतु रु0 16 करोड़, कुमायूँ विश्वविद्यालय हेतु रु0 24 करोड़ एवं उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हेतु रु0 4.70करोड़ का प्राविधान सहित उच्च शिक्षा हेतु कुल रु0 170.27 करोड़ का प्राविधान है।

## तकनीकी शिक्षा :

राज्य के त्वरित विकास के लिए प्रशिक्षित युवा पीढ़ी की उपलब्धता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकार इस पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने तथा उद्योगों में प्रशिक्षित मानव शक्ति पूर्ति हेतु प्रयासरत है। राज्य में निजी क्षेत्र के अतिरिक्त राजकीय क्षेत्र में 37 पॉलिटेक्निक तथा तीन इंजीनियरिंग कॉलेज संचालित हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए जनपद

पौड़ी में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन0आई0टी0) एवं उत्कृष्ट प्रबन्धन शिक्षा के लिए जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई0आई0एम0) की स्थापना भी प्रस्तावित है। भारत सरकार के सहयोग से पिथौरागढ़ के गणाई गंगोली, कनालीछीना तथा डीडीहाट में समेकित पॉलिटेक्निक का विकास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का भवन निर्माण भी शीघ्र कराया जाना प्रस्तावित है। तकनीकी शिक्षा हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 101.28 करोड़ का प्राविधान है।

## संस्कृति :

राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण–संवर्द्धन, प्राचीन व दुर्लभ पाण्डुलिपियों के संग्रहण तथा संरक्षण आदि कार्यों हेतु विभिन्न क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं। देहरादून में ललित कला अकादमी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जबकि जनपदों में प्रेक्षा गृहों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य अभिलेखागार में अत्यन्त प्राचीन एवं ऐतिहासिक

अभिलेखों का डिजिटाईजेशन एवं माइक्रो फिल्मिंग की जा रही है। राज्य में देश के पहले हिमालयन संग्रहालय की स्थापना की जायेगी। प्रदेश के मूर्धन्य साहित्यकारों, लेखकों, कवियों की कृतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी के भवन का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा।

संस्कृति विभाग हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 11.09 करोड़ का प्राविधान है।

## खेल एवं युवा कल्याण :

राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। हल्द्वानी में उच्च स्तरीय सुविधायुक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर की स्थापना की जायेगी। जनपदों में निर्माणाधीन स्टेडियम, इन्डोर हाल, छात्रावास आदि का निर्माण सहित मैदानों का विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। जनपद चमोली के औली में स्कीइंग एवं देहरादून में आईस

स्केटिंग के लिए उच्च तकनीकी तथा अपनी तरह के अनूठे क्रीड़ा केन्द्र हमने स्थापित किए हैं जिससे उत्तराखण्ड देश में उत्कृष्ट शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।

खेल विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में रु0 10.08 करोड़ की व्यवस्था है।

युवा कल्याण हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 26.54 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है जिसके अन्तर्गत मिनी स्टेडियमों का निर्माण, पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्तों का भुगतान, ग्राम पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण, रोजगार परक प्रशिक्षण आदि कार्य किये जायेंगे। विकास खण्ड स्तर पर तैनात ब्लॉक कमाण्डर का मानदेय रु0 300 से बढ़ाकर रु0 600 प्रतिमाह किया जायेगा। प्रदेश के पंजीकृत युवा दलों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रु0 2000 से बढ़ाकर रु0 4000 की जायेगी। विकास खण्ड स्तर पर तैनात की जाने वाली महिला संगठिका का मानेदय रु0 1500 से बढ़ाकर रु0 2500 किया जायेगा। जिला युवा समिति को

रु0 2000 तथा क्षेत्रीय युवा समिति को रु0 1000 प्रतिमाह मानदेय स्वीकृत किया जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर तैनात किए जाने वाले हल्का सरदार का मानदेय रु0 150 से बढ़ा कर रु0 300 किया जायेगा। प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों का मानदेय भी रु0 120 से बढ़ाकर रु0 150 किया जायेगा।

## सूचना एवं लोक सम्पर्क :

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा सरकार की नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी संचार माध्यमों के माध्यम से जन–जन तक पहुंचाने हेतु कार्यरत है। प्रदेश सरकार मीडिया के हितों के लिए प्रयत्नशील है। पत्रकारों के कल्याण पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान देते हुए आपदाग्रस्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों की सहायता के लिए पत्रकार कल्याण कारपस फंड बनाया गया है। परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है तथा श्रमजीवी पत्रकारों

को अनुमन्य चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अलग से धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर प्रेस क्लबों की स्थापना सहित जनपदों में आधुनिक अवस्थापना सूचना तंत्र स्थापित किया जायेगा।

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों का दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु विभाग द्वारा साप्ताहिक न्यूज मैगजीन प्रसारित करायी जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनल एवं आकाशवाणी के माध्यम से विकास योजनाओं एवं कुम्भ–2010 का व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जा रहा है। कुम्भ मेला–2010 में देश–विदेश के मीडिया प्रतिनिधियों को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरिद्वार में एक हाईटेक मीडिया सेन्टर की स्थापना भी की गई है।

सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण व संवर्द्धन करने तथा विभिन्न विषयों पर जन–जागरूकता के प्रसार हेतु पंजीकृत सांस्कृतिक दलों द्वारा विभिन्न अवसरों पर

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराकर स्थानीय लोक–कला एवं संस्कृति का भी संरक्षण व संवर्धन किया जा रहा है।

पत्रकारों हेतु आवासीय भूमि व आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार पुरम की स्थापना की कार्यवाही की जायेगी।

सूचना विभाग के विभिन्न कार्यकलापों हेतु रु0 20.81 करोड़ का प्राविधान है।

## गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

उत्तराखण्ड राज्य नेपाल एवं चीन की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं तथा उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमाओं से लगा हुआ है। प्रदेश का अधिकांश भू–भाग पर्वतीय एवं वन क्षेत्र से आच्छादित है। प्रदेश में अनेक राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक एवं पर्यटक स्थल होने के कारण वर्षभर प्रदेश की जनसंख्या के लगभग पांच गुना श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों का आगमन बना रहता है। भौगोलिक विषमताओं, विशिष्टताओं एवं

सामरिक तथा धार्मिक महत्व के कारण यह प्रदेश सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। प्रदेश में पुलिस बल को अत्याधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित करने व उपलब्ध पुलिस बल को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर समस्त आकस्मिक घटनाओं से निपटने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही इस मध्य पुलिस के जवानों की सुविधाओं की दृष्टि से विभिन्न कार्य किए गये हैं। टनकपुर में फायर स्टेशन हेतु पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। जल पुलिस एवं पर्यटन पुलिस की भी व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान में कुम्भ मेले का सफल आयोजन चल रहा है, जिसमें देश एवं विदेश के लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। महाकुम्भ का सफल आयोजन सरकार के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों के सहयोग से कुम्भ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी एवं त्रुटि–रहित बनाये जाने का प्रत्येक सम्भव प्रयास किया गया है।

पुलिस विभाग हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 566.84 करोड़ का प्राविधान है।

## राजस्व :

सरकार भूमि अभिलेखों तथा सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन व नामान्तरण प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रयासरत है। इस हेतु राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 15 करोड़ का प्राविधान है। उत्तराखण्ड देश का अनूठा राज्य है जहाँ एक बड़े भू–भाग में राजस्व पुलिस की व्यवस्था है। राजस्व पुलिस की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कानूनगो व पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु रु0 3 करोड़, तहसील भवनों के निर्माण के लिए रु0 1.5 करोड़ सहित राजस्व विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में रु0 120.50 करोड़ का प्राविधान है। सरकार पर्वतीय क्षेत्र में स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु भी प्रयास कर रही है।

## आपदा प्रबन्धन :

हमारा प्रदेश प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। आपदा न्यूनीकरण हेतु प्रशिक्षण के साथ–साथ खोज एवं बचाव कार्य तथा प्रतिक्रिया कार्यों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपदा प्रबन्धन कार्यों हेतु विकास खण्ड स्तर पर आपदा प्रबन्धन ग्रुप तैयार किये जायेंगे। साथ ही एस0एस0बी0 एवं आई0टी0बी0पी0 के साथ सामन्जस्य स्थापित किया जायेगा ताकि आपदा की स्थिति में समय से जनता की जानमाल की सुरक्षा की जा सके। आपदा प्रबन्धन हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 180.60 करोड़ का प्राविधान है।

## पंचायती राज :

संविधान के 73वें संशोधन के आलोक में राज्य सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पंचायतों को अनुदान देने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गये है। सरकार ने

पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला नियोजन समितियों का गठन किया है। इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार की योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। वर्ष 2010–11 में पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत रु0 82.43 करोड़ का प्राविधान है।

## ग्राम्य विकास :

राज्य में केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में अब तक राज्य में लगभग रु0 519 करोड़ व्यय करते हुए 382 लाख मानव दिवसों का सृजन किया है। वर्ष 2010–11 में रु0 500 करोड़ व्यय कर 350 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अब तक 2592 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर रु0 608 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष

2010–11 में 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है जिस हेतु रु0 250 करोड़ व्यय का अनुमान है।

पाँच जनपदों के 17 विकास खण्डों में आजीविका अवसर उपलब्ध कराने हेतु बाह्य सहायतित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिस हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 38.73 करोड़ का प्राविधान है। सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत पाँच जनपदों के 9 सीमान्त विकास खण्डों के लिए वर्ष 2010–11 में रु0 15 करोड़ का प्राविधान है।

विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु विकास केन्द्र बिन्दु अवधारणा पर आधारित 670 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों के विकास हेतु अटल आदर्श ग्राम योजना का शुभारम्भ वर्ष 2009–10 में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस दिशा में विशेष प्रयास किये जायेंगे।

ग्राम्य विकास विभाग के लिए वर्ष 2010–11 में रु0 517 करोड़ का प्राविधान है।

## विधायक निधि :

विधायक निधि को रु0 106.5 करोड़ से बढ़ाकर रु0 142 करोड़ किया गया है।

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

प्रदेश में विज्ञान का लोकव्यापीकरण सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग, विकास व अन्य क्रिया कलापों में अंतरिक्ष उपयोग तकनीकी का समावेश और जैव प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा वैज्ञानिकों को प्रति वर्ष पुरस्कृत करेगी। पूरे प्रदेश में विज्ञान यात्राएं चलायी जायेंगी, जिससे इण्टर कॉलेजों को जोड़ा जायेगा। विद्यालयों में साइंस क्लब बनाए जायेंगे। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की डिजिटल मैपिंग की जायेगी। विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 3.35 करोड़ का प्राविधान है।

## सूचना प्रौद्योगिकी :

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी का हर क्षेत्र में उपयोग करना अपरिहार्य है ताकि कार्यकुशलता, सटीकता एवं त्वरित क्रियान्वयन तथा जनता के द्वार पर सूचना प्राप्ति सम्भव हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्टेट वाइड एरिया नैटवर्क (SWAN) की स्थापना प्रगति पर है जो शीघ्र पूर्ण हो जायेगा। आम जनता को उनके द्वार तक सूचना की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में 2804 केन्द्रों की स्थापना का भी प्रयास किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक 6–7 गांवों के मध्य एक सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित हो सकेगा जहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही स्टेट डाटा सैन्टर की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 15 विभागों की परियोजनाएँ तैयार की गई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 11.20 करोड़ का प्राविधान है।

## पर्यटन :

भौगोलिक, पर्यावरणीय, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक आदि की दृष्टि से धरती के स्वर्ग उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं। विभिन्न पर्यटक स्थलों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 13वें वित्त आयोग के माध्यम से अगले पाँच वर्षों में रु0 100 करोड़ प्राप्त होगा। साथ ही साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी प्रदेश में अपार सम्भावनाएँ हैं। भारत सरकार की सहायता से हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनि की रेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट सहित देहरादून–हरिद्वार पर्यटन सर्किट, कुमायूँ में कथ की नाऊ–इको खेत– मानिला– भिकियासैंण–नीलेश्वर मन्दिर– जैनल– सनारा – मासी – चौखुटिया– द्वाराहाट –कौसानी–बागेश्वर पर्यटन सर्किट, निर्मल गंगोत्री मेगा पर्यटन सर्किट, पंचप्रयाग– श्रीनगर–कालीमठ पर्यटन सर्किट, पुरोला– नैटवाड़–हर की दून पर्यटन सर्किट, भवाली–रामगढ़– मुक्तेश्वर– धारी–भीमताल–सात ताल– हैड़ाखान– हल्द्वानी पर्यटन सर्किट, हरिपुरा जलाशय –नानक सागर जलाशय– श्यामलाताल– मायावती– सातताल –हेड़ाखान पर्यटन

सर्किट तथा औली का ईको टूरिज्म डेस्टीनेशन के रूप में विकास, टिहरी झील पर्यटन डेस्टीनेशन आदि विकसित किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड के युवक/ युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ''वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना'' चलाई जा रही है। इस स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 2771 लोग लाभान्वित हुए हैं। इस योजना को आगे भी चलाया जायेगा। डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी होम स्टे योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। लोक निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों में रोप–वे का निर्माण प्रस्तावित है। चारधाम आदि मुख्य पर्यटन मार्गों व स्थानों से ठोस अपशिष्ट का निस्तारण कर इन मार्गों व स्थानों को प्रदूषण मुक्त करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय महत्व के दृष्टिगत ईको टूरिज्म को भी पर्याप्त बढ़ावा दिया जा रहा है। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं एवं बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए सभी

सम्भावित क्षेत्रों का दोहन किया जाना प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से रु0 350 करोड़ की योजनाओं की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है।

पर्यटन क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु0 85.19 करोड़ का प्राविधान है।

## खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 श्रेणी को खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु विशेष प्रयासरत है। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना के लिए भी पर्याप्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चार सीमान्त जनपदों के 5 विकास खण्डों की गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनैक्शन योजनान्तर्गत अब तक लगभग ग्यारह हजार से अधिक गैस कनैक्शन दिये जा चुके हैं जिसे आगे भी चलाया जा रहा है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग व फोरमों के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु भी राज्य

सरकार विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष 2009–10 में गेहूँ, धान एवं चावल की रिकार्ड खरीद की गयी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2010–11 में रु0 30.48 करोड़ का प्राविधान है।

## श्रम, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन :

राज्य सरकार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करते हुए सेवायोजकों एवं श्रमिकों के मध्य सौहार्द बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना एवं श्रम चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत श्रमिकों के कल्याण के लिए समुचित ध्यान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुछ नये चिकित्सालय व औषधालय खोले जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही राज्य में ई0एस0आई0 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में श्रम विभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों हेतु रु0 32.44 करोड़ का प्राविधान है।

राज्य में 106 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं तथा कुछ और आई0टी0आई0

स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। कतिपय आई0टी0आई0 को विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में रु0 43.05 करोड़ का प्राविधान है।

## नियोजन :

प्रदेश के चहुँमुखी विकास हेतु जहां एक ओर अच्छे नियोजन का महत्व है, वहीं आकड़ों का एकत्रीकरण व उनका उपयोग, योजनाओं का नियमित मूल्यांकन, कार्यों का सत्यापन, गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा लोक निजी सहभागिता आधार पर अधिक से अधिक वित्त पोषण आकर्षित करना भी महत्वपूर्ण है। परियोजनाओं एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की तकनीकी जांच की व्यवस्था सेवानिवृत्त अभियन्ताओं तथा वाह्य संस्थाओं से कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण तृतीय पक्ष से कराये जाने हेतु अनुबन्ध भी किये गये हैं। विभिन्न विकास योजनाओं की उपादेयता सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं के सामाजिक व आर्थिक

मूल्यांकन हेतु तृतीय पक्ष संस्थाओं का चयन किया गया है।

लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) के माध्यम से पूँजी निवेश आकर्षित करने हेतु पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ के सहयोग से कतिपय योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। इसे आगे भी जारी रखा जा रहा है।

नियोजन विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु0 23.33 करोड़ का प्राविधान है।

**<u>मान्यवर,</u>**

अब मैं, वित्तीय वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2010–11 में रु0 14821.67 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 12158.79 करोड़ की राजस्व प्राप्तियाँ तथा रु0 2662.88 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2010–11 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 6368.90 करोड़ है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 2344.60 करोड़ सम्मिलित है।

**व्यय :**

वर्ष 2010–11 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर रु0 1299.63 करोड़, ब्याज की अदायगी के रूप में रु0 1578.93 करोड, राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर रु0 4546.20 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रु0 420.73 करोड़, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रु0 1003.40 करोड़ व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2010–11 में कुल व्यय रु0 15451.95 करोड़ अनुमानित है। कुल व्यय में रु0 11996.69 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 3455.26 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय है।

## समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि में रु0 5117.38 करोड़ आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 10334.57 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 2974.07 करोड़ आयोजनागत तथा रु0 9022.62 करोड़ आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 2143.31 करोड़ आयोजनागत पूंजी लेखा तथा रु0 1311.95 करोड़ आयोजनेत्तर पूंजी लेखा हेतु प्रस्तावित है।

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2010–11 में अनुमानित घाटा रु0 630.28 करोड़ है।

## लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2010–11 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 600 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।

## अन्तिम शेष :

वर्ष 2010–11 में आरम्भिक शेष को लेते हुए अन्तिम शेष रु0 4.72 करोड़ धनात्मक होना अनुमानित है।

**मान्यवर,**

मेरा यह मानना है कि जहां राज्य सरकार को एक लोक हितैषी संस्था के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए मूल सिद्धान्त तथा लक्ष्य हमारे महान संविधान में निर्धारित हैं, वहीं दक्षता, पारदर्शिता एवं समय से कार्यपूर्ति आदि पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एक ओर जनता की चुनी हुई सरकार होने के नाते हमारा लोक धन की सुरक्षा व संरक्षण करने का दायित्व है, वहीं दूसरी ओर उस धन का सदुपयोग जनहित व लोक कल्याण के लिए करने का भी दायित्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम इस गुरूत्तर दायित्व का निर्वहन करने में सफल रहेंगे।

मुझे उत्तराखण्ड के निवासियों व कर्मचारियों पर गर्व है कि राज्य निर्माण के बाद उन्होंने राज्य के तीव्र विकास के लिए मनोयोग से सहयोग दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका योगदान हमें आगे भी मिलता रहेगा।

अभी भी जंग जारी है,

वेदना सोई नहीं है।

मनुजता होगी धरा पर,

संवेदना खोई नहीं है।

किया है बलिदान जीवन,

निर्बलता ढोई नहीं है।

कह रहा हूँ ऐ वतन,

तुझसे बड़ा कोई नहीं है।

**मान्यवर,**

अन्त में, मैं, मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो

सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए मैं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं वर्ष 2010–11 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।